

रजिस्टर्ड

मा-19

रूपक;

सेवा में,

प्रबन्धक,

मध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश,
उप कार्यालय, मेरठ।

सुरज भान सरस्वती विद्यामंदिर
शिकारपुर बुलन्दशहर

पत्र संख्या : उम मा 0 शि 0 प 0/मान्यता/1411

मेरठ, दिनांक 4-11-1992

विषय : आपका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

1991 शासन ने मान्यता समिति एवं सुभाषित मान्यता विधायक परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत आपकी विद्यालय को कार्यालय मान्यता विद्यालय के रूप में परिषद् की 1994 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में मान्यता व विशेष प्रतिबंधों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता देने की आज्ञा प्रदान की है।

सामान्य प्रतिबंध

- (1) पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध के अधीनस्थ, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रामुख, सुरक्षित एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबंधों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मध्यमिक-बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी।
- (2) इस प्रार्थना-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षक/मध्यमिक-बालिका विद्यालय निरीक्षिका को संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिगिल सीटेड डेस्क व चेंबर ही स्वीकार किए जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित/अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय। क्या-अप्रशिक्षित-अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर अधिस्थित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

Manager
Surajbhan Saraswati Vidya
Mandir Inter College
Shikarpur (Bulandshahr)

ATTESTED

Principal
Surajbhan Saraswati Vidya Mandir
Inter College Shikarpur
(BSR)



विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सादृशी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) 20x25 फीट माप का निम्नलिखित एक कक्ष पूर्ण किया जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	आतिथ्य विषय	वैकल्पिक विषय
वैज्ञानिक	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य।	जीव विज्ञान, कला

टिप्पणी (1) कक्षा 9 से प्रवेश हेतु कम से कम छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध होना आवश्यक है।/दिए गए कक्षा व विषयों की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

के.पी.एम. सर सचिव।
26/3/90

पृष्ठानक संख्या : उप मा 0 सि 0 प 0/मान्यता/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका। बुलन्दशहर
(2) राष्ट्रीय उपशिक्षा निदेशक। मेरठ
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ 0 प्र 0, इलाहाबाद।
(4) हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग। मेरठ

Manager
Surajbhan Saraswati
Mandir Inter College
Shikarpur (Bulandshahr)

Principal

Surajbhan Saraswati Vidya Mandir
Inter College Shikarpur
(BSR)

ATTESTED

के.पी.एम. सर सचिव।

रजिस्टर्ड

मा-19

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री श्री सरस्वती विद्या मन्दिर,

प्रबन्धक,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उप कार्यालय,

—तरस्की विद्या मन्दिर

उत्तर प्रदेश, मेरठ।

शिकारपुर, बुलन्दशहर

पत्र संख्या : उप मा 0 वि 0 १०/मान्यता/ 2599

मेरठ, दिनांक 20-3-1990

विषय :- आपका हार्ड स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्राप्ति-पत्र।

महोदय,

1987 शासन ने मान्यता समिति एवं समाप्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संतुष्टि के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 7-क के अन्तर्गत आपके विद्यालय को राज्य स्तरीय विद्यालय के रूप में परिषद् की 1987 की हार्ड स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में समान प्रतिस्पर्धी के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य अतिरिक्त

- (1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (अर्थात् अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, मयन, पुस्तकालय, स्थान, प्रामाण्य, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिस्पर्धी की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/प्रमुख शिक्षक/निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनके लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयंमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/प्रमुख शिक्षक/निरीक्षक से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगल सीटड डेस्क व चैपर्स ही स्वीकार किए जाएंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनायक परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विमुक्ति अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।
- (5) निम्नानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का महत्वपूर्ण संस्थाधिकारी स्वयंमेव वहन करें।

Manager

Surajbhan Saraswati Vidya
Mandir Inter College
Shikarpur (Bulandshahr)

ATTESTED

Principal
Surajbhan Saraswati Vidya Mandir
Inter College Shikarpur
(BSR)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) 20 x 30 फीट माप का एक तथा 20 x 20 फीट माप का एक दो निर्माणाधीन कक्ष पूर्ण किया जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

अनिवार्य विषय

वैकल्पिक विषय

तर्जिल

हिन्दी

अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान

टिप्पणी-(1) कक्षा में प्रवेश हेतु कम से कम ... 30 ... छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित मस्य प्रतिबन्धों (निष्पत्तियों का छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

नोट:- निरीक्षक कृपया उपरोक्त प्रतिबन्धों को पूर्ण कराने हेतु एक अधि निर्धारित कर दी जाय किन्तु कक्षा संचालन की अनुमति रोकी न जाय।

सबदीप,
31/11/20
प्रिन्सिपल पर सचिव।

पृष्ठांक संख्या : उप मा 0 सि 0 प 0/मान्यता/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका-विद्यालय-निरीक्षक-। बुलन्दशहर
- (2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक। मेरठ
- (3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ 0 प्र 0, इलाहाबाद।
- (4) हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग। मेरठ

Manager
Surajbhan Saraswati Vidya
Mandir Inter College
Shikarpur (Bulandshahr)

ATTESTED

प्रिन्सिपल पर सचिव।

Principal
Surajbhan Saraswati Vidya Mandir
Inter College Shikarpur
(BSR)

पी 0 एम 0 पी 0 (अर 0 ए 0) 27 मा 0 सि 0 प 0/425-14-11-91-5.000।